राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 27 / 2024

दायर दिनांक 24.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... डिक्रीदार

बनाम्

1. जेतीदेवी पत्नी उदयलाल जाति अहीर निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. नाबालिग भवानीशंकर पुत्र माधु संरक्षक सरपरस्त माता राधा जाति अहीर निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. नाबालिग यशोदा पुत्र माधु संरक्षक सरपरस्त माता राधा जाति अहीर निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. राधादेवी पत्नी माधुलाल अहीर निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
5. नाबालिग श्यामलाल पुत्र माधु संरक्षक सरपरस्त माता राधा जाति अहीर निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
6. नाबालिग सीताराम पुत्र माधु संरक्षक सरपरस्त माता राधा जाति अहीर निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... मदयूनान

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

निर्णय दिनांक : 13 / 11 /2025

डिक्री दिनांक : 13 / 11 /2025

–: डिक्री :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार सरकार एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री मुकेश धाकड़ के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :–

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

मौजा ग्राम माहुपुरा पटवार मण्डल तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी नम्बर 51 रकबा 0.2833 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम भूमि के सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र **अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** अस्वीकार किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार बिजौलियां को पालनार्थ तहरीर जारी हो। डिक्री मूर्तिब की गई। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करें।

नीज ....Nil............................मुबलिग ....Nil ....

बाबत् .... Nil ....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....

फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का

अदा करे ।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13... माह 11 वर्ष 2025 को जारी किया गया ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बावत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान			स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान		

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 27 / 2024

दायर दिनांक 24.01.2024

अनवान

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........वादी

बनाम

1. जेतीदेवी पत्नी उदयलाल जाति अहीर निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. नाबालिग भवानीशंकर पुत्र माधु संरक्षक सरपरस्त माता राधा जाति अहीर निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. नाबालिग यशोदा पुत्र माधु संरक्षक सरपरस्त माता राधा जाति अहीर निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. राधादेवी पत्नी माधुलाल अहीर निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
5. नाबालिग श्यामलाल पुत्र माधु संरक्षक सरपरस्त माता राधा जाति अहीर निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
6. नाबालिग सीताराम पुत्र माधु संरक्षक सरपरस्त माता राधा जाति अहीर निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 01. पैरोकार तहसीलदार।
02. श्री मुकेश धाकड़ – अधिवक्ता प्रतिवादीगण

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 13 / 11 / 2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माहुपुरा पटवार मण्डल तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 51 रकबा 0.2833 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम भूमि प्रतिवादीगणों के नाम

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी नम्बर 51 रकबा 0.2833 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम भूमि में खातेदारों की मौके पर काश्त नहीं हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादीगणों को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादीगणों द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नही किया जाकर प्रतिवादीगणों ने खातेदारी अधिकार की शर्तो की पालना नहीं कर आराजी नम्बर 51 रकबा 0.2833 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम भूमि पर गड्डा होकर पानी भरा हुआ हैं।

अतः प्रतिवादीगणों की ग्राम माहुपुरा की आराजी नम्बर 51 रकबा 0.2833 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। विपक्षी की बाद तामील प्राप्त हुआ। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार धाकड़ ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री मुकेश कुमार धाकड़ ने प्रस्तुत वादपत्र का दिनांक 18.09.2024 को जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने जवाब में अंकित किया कि वादपत्र की कलम नम्बर 1 स्वीकार होकर मौजा ग्राम माहुपुरा पटवार हल्का तिलस्वां में आराजी नम्बर 51 रकबा 0.2833 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण के नाम होना स्वीकार है। वादपत्र की कलम नम्बर 2 गलत होकर अस्वीकार है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि पर सिंचाई के संसाधनो के अभाव मे दोनो फसल काश्त किया जाना संभव नही होता है। मौके पर्चे मे मिट्टी जड़ाई कर गढ्ढा होकर पानी भरा होना अंकित किया हैं जिसके जवाब मे निवेदन हैं कि जवाबदाता प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि मे सिंचाई हेतु प्रतिवादीगण द्वारा फार्म पोण्ड का निर्माण किया हैं जिससे कृषि कार्य हेतु वादग्रस्त भूमि की सिंचाई की जाती है एवं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि का कृषि उपयोग किया जा रहा है। प्रतिवादी द्वारा निरन्तर काश्त की जाती रही है। मौका पर्चा गलत कायम किया गया है। वादपत्र की कलम नम्बर 3 में अंकित भूमि प्रतिवादी द्वारा कृषि कार्य हेतु क्रय की जाकर निरन्तर काश्त की जाती रही है। वादग्रस्त आराजी में स्थित फार्म पोण्ड से वादग्रस्त आराजी की सिंचाई की जाकर कृषि कार्य किया जाता रहा है। पटवार हल्का तिलस्वां द्वारा जो मौका पर्चा कायम किया गया वह प्रतिवादीगण की गैर मौजूदगी में मनमाफीक तरीके से बनाया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार से उक्त भूमि पर अवैध खनन नही किया है एवं खातेदारी अधिकारो की अवहेलना नही की है। सम्बंधित राजस्व कर्मियो द्वारा कायम किया गया मौका पर्चा मनगढंत गलत एंव निराधार होकर बेबुनियाद है। उक्त मौका पर्चा राजस्वकर्मियो द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो की पालना किये बिना, प्रतिवादीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये, प्रतिवादी की अनुपस्थिति में कायम किया गया

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

तनकी नम्बर 4 :– आया वादग्रस्त भूमि का पर्चा मौका बनाया है जो मनगढन्त हैं।

.... जिम्मे प्रतिवादी

तनकी नम्बर 5 :– आया वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगणों द्वारा किसी भी हिस्से में अवैध खनन कार्य नहीं किया हैं एवं निरन्तर काश्त कर रहे हैं।

.... जिम्मे प्रतिवादी

तनकी नम्बर 6 :– आया वादग्रस्त भूमि की प्रतिवादीगणों ने खातेदारी अधिकारों की अवहेलना नहीं की हैं।

.... जिम्मे प्रतिवादी

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में मौका पर्चा ग्राम माहुपुरा का प्रस्तुत किया जो प्रदर्श–1 हैं, पटवारी हल्का तिलस्वां का तहसीलदार बिजौलियां को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश किया जो प्रदर्श–2 हैं, भू–नक्शा ग्राम माहुपुरा का पेश किया जो प्रदर्श–3 हैं, भू–नक्शा ग्राम माहुपुरा का पेश किया जो प्रदर्श–4 हैं, जीपीएस मेप केमरा उम्मेदपुरा रोड़ देबीनिवास का पेश किया जो प्रदर्श–5 हैं, 3 डी गूगल मेप ग्राम माहुपुरा का पेश किया जो प्रदर्श–6 हैं की प्रतियां प्रस्तुत की हैं।

प्रकरण में वादी ने पी–डब्ल्यू– 1 बलराम पिता रामधन जाति मीणा पटवारी प0ह0 सुखपुरा के बयान कराये जाकर शामिल पत्रावली हैं।

पी–डब्ल्यू–1 बलराम पिता रामधन जाति मीणा पटवारी प0ह0 सुखपुरा ने अपने बयान में लिखाया कि ग्राम माहुपुरा प0ह0 तिलस्वां स्थित आराजी नम्बर 51 रकबा 0.2833 हैक्टेयर भूमि खातेदार जेतीदेवी पत्नी उदयलाल 3/29 अहीर नाबालिग भवानीशंकर पुत्र माधु संरक्षक सरपरस्त माता राधा 95/696 अहीर नाबालिग यशोदा पुत्र माधु संरक्षक सरपरस्त माता राधा 95/696 अहीर राधादेवी पत्नी माधुलाल 61/174 अहीर नाबालिग श्यामलाल पुत्र माधु संरक्षक सरपरस्त माता राधा 95/696 अहीर नाबालिग सीताराम पुत्र माधु संरक्षक सरपरस्त माता राधा 95/696 अहीर निवासी तिलस्वां के नाम दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त आराजी पर दिनांक 18.01.2024 को गिरदावर सा0 के साथ पहुंचकर मौका देखा। उक्त आराजी पर अवैध खनन किया गया जिसका पंचनामा दिनांक 19.06.2023 को बनाया गया। दिनांक 18.01.2024 को वक्त पर्चा मौंका उनके आराजी में गड्डा होकर पानी भरा हुआ पाया। इस प्रकार उक्त आराजी का कृषि उपयोग नहीं होकर अन्य प्रयोजन होने से एवं खातेदार सद्भावी कृषक नहीं होने से तथा खातेदार के पास विभागीय स्वीकृती नहीं होने से खातेदारी निरस्त करने हेतु मौका पर्चा बनाया। जो उक्तानुसार प्रदर्श होकर उस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

लगातार पेज संख्या 05 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा